

(आदेश फलक)

न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, डुमरी (गिरिडीह)

वाद संख्या 153/19

धारा 107 दं० प्र० सं० के अन्तर्गत कार्यवाही / नोटिस।
हरिलाल महतो बनाम चोखी महतो

स्थानीय पुलिस डुमरी थाना से प्राप्त प्रतिवेदन,

जिससे पुलिस निरीक्षक द्वारा अग्रसारित किया गया है, के अवलोकन से प्रतीत होता है कि उभय पक्षों के बीच शैथिली एवं गैरमजसुआ श्रुति को लेकर काफी विवाद है। विधि-व्यवस्था शांति बनाए रखने हेतु उभय पक्षों को धारा 107 के तहत प्रतिबंधित करने की अनुशंसा की गई है।

जिसके कारण उभय पक्ष के बीच शान्ति-व्यवस्था भंग होने की आशंका है एवं उभय पक्ष टकराव के लिए तत्पर हैं फलस्वरूप उस क्षेत्र में शान्तिभंग, खून-खराबा तथा उपद्रव हो सकता है जो मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है। इस बात से मैं संतुष्ट हूँ कि इस मामले में टकराव को दूर करने तथा इलाके में शान्ति बनाए रखने हेतु निरोधात्मक कार्रवाई आवश्यक है।

इन तथ्यों के आलोक में उभय पक्ष / विपक्षी सदस्यों के विरुद्ध धारा 107 दं० प्र० सं० के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ किया जाता है तथा इनसे दिनांक 22 / 11 / 2019 को कारण-पृच्छा की मांग की जाती है कि क्यों नहीं उन्हें आदेश की तिथि से एक साल के लिए शान्ति बनाए रखने हेतु 5000/- रुपये के दो-दो प्रतिभूतियों के साथ बन्ध-पत्र दाखिल करने का आदेश दिया जाय।

प्रथम पक्ष:- हरिलाल महतो, पौ०-शब० कपलाल महतो
सा० पट्टियाटॉड, था०-डुमरी।

द्वितीय पक्ष:- चोखी महतो, पौ०-श्री बाली महतो
सा० पट्टियाटॉड, था०-डुमरी।

लेखापत्र

अनु० दण्डाधिकारी,
डुमरी (गिरिडीह)

अनु० दण्डाधिकारी,
डुमरी (गिरिडीह)

दं.प्र.सं. की धारा 107 के अन्तर्गत राष्ट्रीय लोक अदालत में वाद का
निष्पादन आदेश

वाद संख्या : 153/19-20 -

हरिलाल मट्टो - बनाम - तोरबी मट्टो


12-12-20


अभिलेख उपस्थापित। दिनांक 12-12-2020 को राष्ट्रीय लोक अदालत में वाद से संबंधित उभय पक्षों को उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत कर सूचित किया गया। वाद से संबंधित प्रथम पक्ष/उभय पक्ष लोक अदालत में उपस्थित/अनुपस्थित।

उभय पक्षों के बीच संभवतः शांति-व्यवस्था कायम है। उभय पक्षों के बीच शांति-व्यवस्था/विधि-व्यवस्था के उल्लंघन से संबंधित प्रतिवेदन संबंधित थाना से प्राप्त नहीं हुआ है। साथ ही अभिलेख की कार्यवाही प्रारम्भ हुए छः माह व्यतीत हो गए हैं।

अतः काल अवधि बाधित होने के कारण अभिलेख की कार्यवाही बन्द की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित


अनुमण्डल दण्डाधिकारी
डुमरी।


अनुमण्डल दण्डाधिकारी
डुमरी।